27/11/14

पत्रांक 2355 /उ0.

प्रेषक,

अधीक्षक उत्पाद,
समस्तीपुर।

सेवा में,

1. अनुमण्डल पदाधिकारी, रोसड़ा।
2. पुलिस अधीक्षक, रोसड़ा।
3. नगर पंचायत अध्यक्ष, रोसड़ा।
4. सभी वार्ड आयुक्त

समस्तीपुर, दिनांक 22/11/14

विषय :– **वर्ष 2015–16 के लिए उत्पाद दुकानों की बन्दोवस्ती हेतु उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक में सम्मिलित होने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत अवस्थित तथा प्रस्तावित देशी शराब दुकानों के संबंध में आगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक समहर्त्ता, समस्तीपुर द्वारा दिनांक **03.12.2014** को 10.30 बजे पूर्वाहन् में समाहर्त्ता, समस्तीपुर के कार्यालय कक्ष में निर्धारित किया गया है।

अतः माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि उक्त बैठक में दिनांक **03.12.2014** को 10.30 बजे पूर्वाहन् में उत्पाद परामर्शदात्री समिति की बैठक में भाग लेने का कष्ट करेंगे, ताकि बैठक की कार्यवाही प्राप्त कर सरकार को ससमय बन्दोवस्ती प्रस्ताव भेजा जा सके। यदि उत्पाद दुकान के स्थल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रतिवेदन अधीक्षक उत्पाद, कार्यालय समस्तीपुर में दिनांक–**02.12.2014** तक समर्पित किया जा सकता है।

रोसड़ा नगर पंचायत में पड़ने वाले देशी शराब दुकानों का नाम :–

1. रोसड़ा नं0–01 देशी शराब दुकान
2. रोसड़ा नं0–02 देशी शराब दुकान
3. रोसड़ा नं0–03 देशी शराब दुकान
4. रोसड़ा नं0–04 देशी शराब दुकान
5. रोसड़ा नं0–05 देशी शराब दुकान
6. रोसड़ा नं0–06 देशी शराब दुकान

विश्वासभाजन

22.11.14
अधीक्षक उत्पाद,
समस्तीपुर।
22/11/14

ज्ञापांक 2355 /उ0, समस्तीपुर, दिनांक 22/11/14

प्रतिलिपि :– अवर निरीक्षक उत्पाद, रोसड़ा अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे अध्यक्ष एवं सभी वार्ड आयुक्त, रोसड़ा नगर पंचायत से सम्पर्क कर निर्धारित तिथि एवं समय पर बैठक में भाग लेने के लिए स्मारित करेंगें।

22.11.14
अधीक्षक उत्पाद,
समस्तीपुर।
22/11/14

ज्ञापांक 2355 / उ0, समस्तीपुर, दिनांक 22/11/14

प्रतिलिपि :– सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रकाशन हेतु प्रेषित एंव NIC को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि अपने बेवसाईट पर अपलोड कर दें।

प्रतिलिपि :– निरीक्षक उत्पाद/अवर निरीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं उन्हें निदेशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं नियमानुसार लॉडिस्पीकर से प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

22.11.

अधीक्षक उत्पाद,

समस्तीपुर।

22/11/14